

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय स्तर, लो०नि०वि०, अलीगढ़।

पत्रांक : 568/2e  
सेवा में,

दिनांक : 3-2-15

जिला रोड साइड लैण्ड कंट्रोल अधिकारी/  
जिलापूर्ति अधिकारी,  
अलीगढ़

विषय: 30प्र०रो०सा०लै०कं०ए० के अन्तर्गत छाता-बाजना -गौमत मार्ग  
(एम०डी०आर०-139) के कि०मी० 38 (बैनेज 37.260) के दांयी तरफ ESSAR OIL  
LIMITED के रिटेल आउटलेट की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: जिला पूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक 71/जि०पू०अ०/एनओसी/14 दिनांक एवं  
जि०रो०सा०लै०कं०ए० अधिकारी पत्र सं०- शून्य दिनांक 23.01.2015

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, लो०नि०वि० आगरा कार्यालय पत्र संख्या 1442/116सी०-आ०क्षे०/14 दि० 31.01.15 द्वारा भारत सरकार के पत्रांक RW/NH-33023-19/99-DO-III Dated 31-08-2000 एवं पत्रांक RW/NH-33023-19/99-DO-III Dated 25-09-2003/17-10-2003 में दी गई गाइड लाइन एवं शर्तों के अनुसार विषयगत छाता-बाजना -गौमत मार्ग (एम०डी०आर०-139) के कि०मी० 38 (बैनेज 37.260) के दांयी तरफ ESSAR OIL LIMITED के रिटेल आउटलेट की निम्न शर्तों के साथ संस्तुति की जाती है।


1. माजचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
  2. प्रस्तावित निर्माण अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।
  3. आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित निर्माण का वाद किसी भी न्यायालय में 30प्र०रो०सा०लै०कं०ए० 1945 की धारा 13 (1) अथवा 13 (2) के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है।
  4. प्रस्तावित निर्माण नगर पालिका की सीमा के अन्दर नहीं है।
  5. प्रस्तावित स्थल छाता-बाजना - गौमत मार्ग (एम०डी०आर०-139) के कि०मी० 38 (बैनेज 37.260) के दांयी तरफ पड़ता है।
  6. प्रस्तावित स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
  7. प्रस्तावित निर्माण स्थल अरबन क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं पड़ता है।
  8. आवेदक को प्रस्तावित बफर स्ट्रिप, रिटेल आउटलेट/डिस्पेन्सर यूनिट एवं निर्माण की अनुमति की संस्तुति सड़क मध्य से क्रमशः 18.290 मी०, 28.290 मी० एवं 45.60 मी० की दूरी पर निम्न शर्तों के साथ की जाती है।
- (क) आवेदक को निर्माण, पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के पश्चात अपने निजी खर्च से दोनों ओर पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण लो०नि०वि० की विशेषियों के आधार पर करना होगा तथा 15 वर्ष के लिए लीज एग्रीमेंट निर्धारित प्रपत्र (एनेक्चर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है। एग्रीमेंट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत निर्धारित 3 माह के अंतर्गत जमा करा ली जायेगी।
- (ख) आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोल पम्प लगाने के उपरांत किसी भी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
- (ग) आवेदक को किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार करना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये किसी दशा में नाली को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
- (घ) मार्ग से पेट्रोल पम्प के स्थल का लेबिल मार्ग के लेपित सतह से ऊंचा नहीं रखा जायगा।
- (च) आवेदक द्वारा शर्तों का पालन न करने की दशा में की गयी अनुमति की संस्तुति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

आवेदक को निर्माण, पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के पश्चात अपने निजी खर्च से दोनों ओर पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण लो०नि०वि० की विशेषियों के आधार पर करना होगा।

कमल श. पेंस 2

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं012-1983 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग पर 1.00 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियाँ के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्गों पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड़ साइट खन्ती में 1.00 मीटर चौड़ाई का ड्रेन बनाकर उसके ऊपर स्टील पाइप के कैटिल केचर बना दिया जाय। ताकि रोड़ का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड़ साइट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
4. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
5. पेट्रोल पम्प के पेड ऐरिया का लेबिल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से 0.50 मीटर नीचे रखा जाय।
6. बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी से ऊपर न रखी जाय।
7. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाय तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाय। मार्ग के मध्य से 16.76 मीटर की दूरी से कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिए।
8. प्रस्तावित स्थल के 300 मीटर दोनों ओर कोई रोड़ क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए।
9. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अलीगढ़ से लाइसेन्स डीड एकजीक्यूट कराना आवश्यक है।
11. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. लो0नि0वि0 मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी प्रकार मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

संलग्नक - मानचित्र की प्रति

  
 (डी0के0 तिवारी) 03/11/15  
 अधिशासी अभियन्ता  
 प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अलीगढ़

पत्रांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि :

1. सहायक अभियन्ता चतुर्थ प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा0) को एक मानचित्र की प्रति एवं चैक लिस्ट की प्रति सहित प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
 प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अलीगढ़